

आ रहा है लोकसभा चुनाव, 2019

**कृपया अपना नाम मतदाता सूची में जाँचे,
अगर नहीं है तो तुरन्त आवेदन करें।**

वर्तमान मतदाताओं के लिए

- मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। अपना नाम मतदाता सूची में देखना न भूलें।
- यद्यपि आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तब भी आप नाम/विवरण जांचने के लिए
 - 1950 पर संपर्क करें
 - <EPIC><SPACE><EPIC NO> 1950 या 7738299899 पर SMS करें
 - Online** सेवा के लिए www.nvsp.in पर जाएं
 - अपने वोटर सेंटर पर जाएं। (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है)
- यदि मतदाता सूची में नाम न मिले तो तुरन्त फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें।
- यदि आपके विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें।

नये मतदाता बनने के लिए

नागरिक जो 1 जनवरी, 2019 तक या उसके पहले 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो वे आज पंजीकरण कर सकते हैं।

- Apply Online: फॉर्म-6 www.nvsp.in पर भरें
- Apply Offline: फॉर्म-6 में विवरण भरें और वोटर सेंटर पर जमा करें
- फॉर्म-6 के साथ निम्न दस्तावेज जमा करें
 - पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
 - आयु प्रमाण (आयु 18-21 वर्ष के बीच के लिए)
 - निवास प्रमाण की प्रतिलिपि

पूछताछ/शिकायत के लिए



1950

वोटर हेल्पलाइन



मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

www.ceodelhi.gov.in

कोई मतदाता ना छूटे